


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 98]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 17, 2015/माघ 28, 1936

No. 98]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 17, 2015/MAGHA 28, 1936

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2015

सा.का.नि. 105(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) (दूसरा संशोधन) नियम, 2015 है।
(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची 1 में "जेनरेटर सेट (जेन सेट) के लिए 800 किलोवाट तक के नए डीजल इंजन के लिए लागू उत्सर्जन सीमा" से संबंधित क्रम संख्यांक 95 में,—

(क) आरंभिक पैरा में, 'एक जनवरी, 2015' शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर '1 मई, 2015' शब्दों, अंकों और अक्षरों को रखा जाएगा ;

(ख) साधारण शर्तों के 'प्रमाणन की अपेक्षा' से संबंधित पैरा 2 में,—

(i) "एक जनवरी, 2015" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "1 मई, 2015" शब्दों, अंकों और अक्षरों को रखा जाएगा ;

(ii) "1 जनवरी, 2016" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "1 मई, 2016" शब्दों, अंकों और अक्षरों को रखा जाएगा ;

[फा. सं. क्यू-15017/08/2012-सीपीडब्ल्यू]

डॉ. राशिद हसन, सलाहकार

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में संख्याक का.आ. 844(अ) तारीख 19 नवंबर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, और अधिसूचना संख्याओं का.आ. 433(अ) तारीख 18 अप्रैल, 1987; सा.का.नि. 01(अ), तारीख 1 जनवरी, 2010; सा.का.नि. 215(अ), तारीख 15 मार्च, 2011; सा.का.नि. 221(अ), तारीख 18 मार्च, 2011; सा.का.नि. 354(अ), तारीख 2 मई, 2011; सा.का.नि. 424(अ), तारीख 1 जून, 2011; सा.का.नि. 446(अ), तारीख 13 जून, 2011; सा.का.नि. 152(अ), तारीख 16 मार्च, 2012; सा.का.नि. 266(अ), तारीख 30 मार्च, 2012; सा.का.नि. 277(अ), तारीख 31 मार्च, 2012; सा.का.नि. 820(अ), तारीख 9 नवंबर, 2012; सा.का.नि. 176(अ), तारीख 18 मार्च, 2013; सा.का.नि. 535(अ), तारीख 7 अगस्त, 2013; सा.का.नि. 771(अ), तारीख 11 दिसंबर, 2013; सा.का.नि. 2(अ), तारीख 2 जनवरी, 2014; सा.का.नि. 229(अ), तारीख 28 मार्च, 2014; सा.का.नि. 262(अ), तारीख 31 मार्च, 2014; सा.का.नि. 612(अ), तारीख 28 अगस्त, 2014; सा.का.नि. 789(अ), तारीख 11 नवंबर, 2014 और सा.का.नि. 54(अ), तारीख 23 जनवरी, 2015 द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किया गया।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 17 February, 2015

G.S.R. 105(E).—In exercise of the powers conferred by Sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:—

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) (Second Amendment) Rules, 2015.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule I, in serial number 95 relating to 'Emission Limits for new diesel engine up to 800 kW for generator set (Genset) application',—
 - (a) in the opening paragraph, for the words, figures and letters '1st January, 2015', the words, figures and letters '1st May, 2015' shall be substituted;
 - (b) in the General Conditions, in paragraph 2 relating to 'Requirement of Certification',—
 - (i) for the figures, letters and word "1st January, 2015", the figures, letters and word "1st May, 2015" shall be substituted;
 - (ii) for the figures, letters and word "1st January, 2016", the figures, letters and word "1st May, 2016" shall be substituted.

[F. No. Q-15017/08/2012-CPW]

Dr. RASHID HASAN, Advisor

Note : The principal rules were published in the Gazette of India *vide* number S.O. 844(E), dated the 19th November, 1986 and subsequently amended *vide* notification numbers S.O. 433(E), dated the 18th April, 1987; G.S.R. 01(E), dated the 1st January, 2010; G.S.R. 215(E), dated the 15th March, 2011; G.S.R. 221(E), dated the 18th March, 2011; G.S.R. 354(E), dated the 2nd May, 2011; G.S.R. 424(E), dated the 1st June, 2011; G.S.R. 446(E), dated the 13th June, 2011; G.S.R. 152(E), dated the 16th March, 2012; G.S.R. 266(E), dated the 30th March, 2012; G.S.R. 277(E); dated the 31st March, 2012; G.S.R. 820(E), dated the 9th November, 2012; G.S.R. 176(E), dated the 18th March, 2013; G.S.R. 535(E), dated the 7th August, 2013; G.S.R. 771(E), dated the 11th December, 2013, G.S.R. 2(E), dated the 2nd January, 2014; G.S.R. 229(E), dated the 28th March, 2014; G.S.R. 262(E) dated 31st March 2014; G.S.R. 612(E) dated 28th August, 2014; G.S.R. 789(E), dated 11th November, 2014; and G.S.R. 54(E), dated 23rd January, 2015.